राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 19 DEC 2022

आदेश

विषयः **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)** के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 13–05–2022 एवं 06–07–2022.

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 13–5–2022 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30–9–2021 तक के चिकित्सा दावे जो दिनांक 30–4–2022 तक आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, का भुगतान दिनांक 15–6–2022 तक करने हेतु एतदद्वारा अवधि बढ़ाई गई थी तथा दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 की अवधि में जिन कर्मचारियों / पेंशनरों द्वारा RGHS कार्ड के आधार पर आउटडोर उपचार कराकर औषधि क्रय की है, उनके चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे भी आरजीएचएस के पुनर्भरण माड्यूल पर ही प्रस्तुत करने हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 6–7–2022 जारी किया गया था।

यह ध्यान में आया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त भी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चिकित्सा पुनर्भरण दावे लम्बित हैं।

अतः उपरोक्त संदर्भ में विचार किया जा कर यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30–9–2021 तक के इनडोर उपचार के दावे तथा दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 की अवधि के आउटडोर चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे दिनांक 15–1–2023 तक निम्नानुसार प्रस्तुत कर निस्तारित किये जा सकेंगेः–

1. समस्त चिकित्सा पुनर्भरण दावे आरजीएचएस पुनर्भरण मोड्यूल पर ऑन लाइन ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. जो चिकित्सा पुनर्भरण दावे आरजीएचएस पुनर्भरण मोड्यूल पर पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जो चिकित्सा पुनर्भरण दावे अब प्रस्तुत किये जायेंगे उनका ऑन लाइन निस्तारण आरजीएचस पुनर्भरण मोड्यूल में निदेशक, कोष एवं लेखा के स्तर से उस दावे से संबंधित अवधि में प्रचलित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार निस्तारण किया जायेगा।

3. इन चिकित्सीय पुनर्भरण दावों को निदेशक, कोष एवं लेखा के स्तर से ऑन लाइन जांच एवं निस्तारण उपरान्त इन दावों का नियमानुसार भुगतान परियोजना निदेशक, आरजीएचएस द्वारा आरजीएचएस मद से ऑन लाइन ही किया जायेगा।

4. जो दावे कालातीत हो गये हैं उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह स्वीकृति RGHS पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्तुत दावे के साथ संलग्न होना आवश्यक है। कालातीत क्लेम की सक्षम स्वीकृति की पुष्टि के उपरान्त ही निदेशक, कोष एवं लेखा के स्तर से क्लेम का निस्तारण संबंधित अवधि में प्रचलित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार निस्तारण किया जायेगा।

5. इन चिकित्सीय दावों के निस्तारण के लिये निदेशक, कोष एवं लेखा विभिन्न कोषाधिकारियों की टीम गठित कर दिनांक 15–2–2023 तक समस्त दावों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आदेश पेंशनर्स के चिकित्सा पुनर्भरण दावों पर भी लागू होगा।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. परियोजना निदेशक, RGHS
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
14. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 44 / 2022)